(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27/2025 दायर दिनांक: 07.02.2025

उनवान

1. अभिषेक पाटीदार आ० पुरुषोत्तम पाटीदार जाति कुलमी नि. दोबडी तह.रायपुर
2. सियाराम आ० जगन्नाथ जाति कुलमी नि. दोबडी तहसील रायपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द पि. शिवनारायण जाति कुलमी नि. दोबडी तहसील रायपुर
2. जगदीश पि. शिवनारायण जाति कुलमी नि. दोबडी तहसील रायपुर
3. रामविलास पि. शिवनारायण जाति कुलमी नि. दोबडी तहसील रायपुर
4. कैलाशचन्द आ० लक्ष्मीचन्द जाति कुलमी नि. दोबडी तहसील रायपुर
5. चन्दरीबाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति कुलमी नि. दोबडी तहसील रायपुर
6. बसन्तीबाई पुत्री लक्ष्मीचन्द जाति कुलमी नि. दोबडी तहसील रायपुर
7. राजीबाई पुत्री लक्ष्मीचन्द पत्नी पूनमचन्द निवासी सोयतखुर्द तहसील सुसनेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :–

अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1, 3 – श्री अहमद उल्ला खान

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 4 से 7 – श्री सुभाष दांगी

अप्रार्थी सं. 2 – एकतरफा

अप्रार्थी सं. 8 – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाक: 27.10.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम दोबडी प.ह. सेमलीखामं तहसील रायपुर की आराजी खसरा [illegible] रकबा 1.5429 [illegible]0 प्रार्थी नं. 1 के नाम दर्ज है तथा [illegible]दोबडी प.ह. [illegible]लीखाम तहसील रायपुर आराजी खसरा नं 109 रकबा 1.[illegible] के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जिसके सम्बन्ध में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 पेश है। यह कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 110 व 109 पर जाने आने, गाडी, ट्रेक्टर सामद आदि का सनातनी रास्ता गांव दोबडी से सोयला सरकारी आम रास्ता खसरा नं. 154 से होता हुआ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 111 व 242/108 के मध्य की मेड पर होकर रहा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर जाने आने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। खसरा नं. 111 अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है परन्तु अप्रार्थी नं. 3 खेती करता है। अप्रार्थी नं. 3 ने रास्ते में पत्थर गाढ़ दिये तथा तार लगाने के लिए खम्बे गाड़ दिये तथा रास्ते को लगभग 5–6 फिट छोड़ दिया जिससे ट्रेक्टर कृषि सामान इत्यादि लाने ले जाने के रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो गया इस पर दिनांक 31.01.2025 को प्रार्थीगण की ओर से थाना रायपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी। यह कि खसरा नं. 109 प्रार्थी के खेत में जाने के लिए खसरा नं. 242/108, 108 व खसरा नं. 110 के बीच में वर्तमान में भी रास्ता चालु है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 110 व 109 पर आने जाने का राजस्व रिकार्ड में कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की आवश्यकता अत्यंत आवश्यकता है। यह जो के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। [The necessity is absolute necessity and is not for mere convenien enjoyment of Holding] अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण का रास्ता रोक देने से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 110 व 109 पर जाने–आने की परेशानी खड़ी हो गयी है। यह कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में विवादित रास्ते को ए से बी दर्शाया गया है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पंर जाने आने के लिए 12 फीट चौडाई में रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने–ले जाने में उपयोग हो सके। यह कि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में निर्धारित मुआवजा राशि नियमानुसार भुगतान करने के लिए तैयार है। यह कि अप्रार्थी नं. 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर को आवश्यक पक्षकार होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। यह प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की आराजी ग्राम दोबडी प.ह. सेमलीखाम तहसील रायपुर के खसरा नंबर 110 तथा खसरा नं. 108 पर जाने आने, ट्रेक्टर मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने–ले जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 111 व 242/108 के मध्य में होकर 12 फिट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत किया जावें। रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जायें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 1 रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 2 में वर्णित समस्त कथन काल्पनिक एवं असत्य होने से अस्विकार है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 110 व 109 पर आने जाने के लिये रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 111 व 242/108 पर नही रहा है। यह भी अस्वीकार है कि अप्रार्थीगण को अपनीं आराजी पर पहुँचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही हो। प्रार्थीगण का रास्ता प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 154 आम रास्ते से होकर खसरा नम्बर 111 व 108 के पश्चिम दिशा में स्थित सरकारी रास्ते में होकर मौजा ग्राम सरहद दोबडी मूण्डला सरहद के मध्य पश्चिम से चलकर पूर्व दिशा में अपने खसरा नम्बर 100 व 110 में प्रार्थीगण पहुँच रहे है। रास्ता मौजा ग्राम दोबडी व मूण्डला के मध्य स्थित सरहद पर विध्यमान है। जिसका उपयोग प्रार्थीगण स्वंय एवं इनके पूर्वज भी इसी रास्ते का भी उपयोग उपभोग किया है। यह स्वीकार है कि प्रार्थीगण जो रास्ता बताते है। वह विध्यमान रास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी की सुरक्षा के लिये सभी आवश्यक उपाय किये है। तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपायो के अन्तर्गत तार लगाना आवश्यक हुआ। यह तार एवं पत्थर एवं थम्बे पूराने समय से ही लगे हुए है। जो नष्ट एवं टूटने से मरम्मत कर नये लगाये गये है। जिनको आधार बनाकर प्रार्थीगण ने दिनांक 31.01.2025 को गलत रिपोर्ट दर्ज की है। यह कि चरण कमांक 03 में प्रार्थीगण ने गलत उल्लेख किया है खसरा नम्बर 242/108, 109 व खसरा नम्बर 110 के मध्य वर्तमान मे रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 242/108 एवं 110 के मध्य रास्ते के उपयोग के लिये [illegible] काल में प्रवेश नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किया है। इस कारण यह चरण अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 04 में उल्लेखित कथन अस्विकार है। यह अस्विकार है कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 110 व 109 पर आने जाने का राजस्व रेकार्ड में कोई स्वीकृत रास्ता नही है। क्योंकि प्रत्येक खसरा नम्बर पहुँचने के लिये रास्ता स्वीकृत नही होता है। खसरा नम्बर 154 राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रास्ता है। इस रास्ते से काश्तकार खातेदार अपनी सुवीधा अनुसार अपनी आराजी पर पहुँचते रहे है। इसी कम में प्रार्थीगण भी ग्राम बस्ती में चलकर खसरा नम्बर 154 पर आगे बडते हुए सरहद पर स्थित रास्ते का उपयोग कर चरण कमांक 06 में रास्ते बाबत वर्णन किया है। इस कथन को प्रार्थीगण को साबित करना है। इस चौडाई का रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 242/108, 111 पर किसी भी क्षण किसी दिन मौजूद नही रहा है और ना ही कभी उपयोग किया है। इस कारण अप्रार्थीगण के ख.नं. 242/108, एवं 111 पर रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण के पास सुविधा जनक रास्ता उपलब्ध है। जिसका वर्णन अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में किया है। अपने खसरा नम्बर 109 व 110 में पहुंच रहे है। शेष कथन प्रार्थीगण नें धारा 251 ए के आवश्यक बिन्दुओं की पालना में लिखे है, जो स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण क्रमांक 05 में नजरी नक्शे का वर्णन किया है। इस बाबत कथन है कि नजरी नक्शा की जानकारी अप्रार्थीगण को नही है। इस कारण इसका जवाब देना सम्भव नही है। यह कि प्रार्थना पत्र का चरण सं. 07 प्रतिकर से सम्बन्धित है। यहाँ भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रतिकर के स्थान पर रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के नाप के अनुसार बदले में भूमि दिये जाने के प्रावधान भी है। यह कि प्रार्थना पत्र का चरण क्रमांक 08 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र का चरण क्रमांक 09 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

3. अप्रार्थी सं. 4 से 7 की ओर से जवाब पेश कर [illegible] किया कि यह की पैरा न. 1 राजस्व रेकार्ड से सम्बंधित है। यह कि प्रार्थीगण के खेत खसरा न. 110 व 109 पर आने जाने, गाडी टैक्टर [illegible] तादातनी रास्ता ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(7)

दोबडी से सरकारी आम रास्ता खसरा न. 154 से होकर प्रार्थीगण के परिवार के खसरा न. 111 व 112 से होकर रहा है अप्रार्थीगण के खेत खसरा न. 242/108 की मेड पर कभी भी रास्ता नहीं रहा है। तथा सरकारी आम रास्ता खसरा न. 154 होकर आगे ग्राम दोबडी व ग्राम कुटकी के कांकड नहर से होकर प्रार्थी 2 सियाराम का खेत रास्ते से लगा हुआ है जिससे होकर भी खसरा न 110 मे प्रार्थी आता जाता है। यह कि उक्त पेरे के सभी तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। खसरा न. 109 दोबडी व कुटकी के काकड के रास्ते से लगा हुआ है खसरा न. 154 आम रास्ते से होकर दोबडी व कुटकी के कांकड नहर के पास रास्ते से ही खसरा न. 109 लगा हुआ है ओर इसी रास्ते से होकर प्रार्थी खसरा न. 110 में भी आते जाते है। यह कि उक्त पेरे के समस्त तथ्य भ्रामक व निराधार दर्ज होने से अस्वीकार है। सरकारी आम रास्ता खसरा न. 154 से ही प्रार्थी के परिवार का खसरा न. 112 लगा हुआ है। ओर उसी से होकर खसरा न. 110 व 109 आपस में मिले हुए है। खसरा न. 112 के खातेदार प्रार्थी खसरा न 110 एक ही परिवार के लोग है। ग्राम दोबडी के खसरा न 112, 110, 109 सभी भूमि खातेदार जगन्नाथ, भंवरलाल, प्रभुलाल. बापुलाल पुत्र घीसा की एक ही परिवार की भूमि रही है ओर खसरा न. 112 सरकारी आम रास्ता खसरा न. 154 लगा हुआ है। एक ही परिवार के लोंगो की भूमि आम रास्ते खसरा न. 154 से लगी खसरा नं. 112 स्थित है ओर खसरा न. 112, 110, 109 आपस में मिले होकर एक ही परिवार की भूमि होने से उनका रास्ता भी परिवार की भूमि होने से होकर है। खसरा न. 109 भी सरकारी रास्ते खसरा न. 154 से कांकड वाले रास्ते से लगा हुआ है। फिर भी प्रार्थी 1 व 2 आपस में एक दुसरे की दुरभी संधी करके स्वयं की रास्ते की भूमि को बचाने के लिए दोनों ने मिलकर अन्य अप्रार्थी की भूमि मे नये रास्ते की मांग की है जो इस अधिनियम का उदेश्य नहीं है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ते खसरा न. 154 से होकर खसरा न. 112 से खसरा न. 110 व 109 में जाते है तथा दुसरा रास्ता खसरा न. 154 से होकर कांकड वाले रास्ते से ही खसरा न. 109 रास्ते कांकड के रास्ते से लगा हुआ है। और खसरा न. से 110 लगा होने से वैकल्पिक मार्ग होने से अन्य व्यक्ति की भूमि मे नये रास्ते नहीं दिया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सकता है। यह केवल प्रार्थीगण की सुविधा के लिए तथा स्वयं के खेत में नहीं निकलकर डीएलसी दर के रूपयों में अन्य व्यक्ति अप्रार्थीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करने का अवैधानिक प्रयास है। अप्रार्थी 4, 5, 6 की भूमि खसरा न. 242/108 के बरसाती पानी का प्राकृतिक बहाव खसरा न. 109, 110 में जाता था जिसे प्रार्थी ने ताकत के बल पर 30–40 टैक्टर ग्रेवल खसरा न. 110 की मेड पर डालकर अवरूद्ध कर अप्रार्थी की भूमि खसरा न. 242/108 के प्राकृतिक बरसाती पानी के बहाव को रोक दिया है जिससे अप्रार्थी की भूमि में पानी भरा रहता है जिसको निकालने के लिए आप्रार्थी को अपनी भूमि कि पूर्वी मेड पर खाई खोद कर पानी निकालना पड़ रहा है फिर भी प्राकृतिक बहान खसरा न. 109, 110 की ओर होने से अप्रार्थी 4, 5, 6 की फसल पानी भराव से खराब हो रही है। ओर अब अप्रार्थी की बरसाती पानी की खाई को रास्ते की आड़ मे अवरूद्ध करना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। यह कि उक्त पेरा अप्रार्थी 4, 5, 6 को केवल नुकसान करने व अपूर्णीय क्षति कारित करने कि गरज से दर्शाया जा रहा है जो अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत है अस्वीकार है। जब एक ही परिवार की भूमि आम रास्ते से खसरा न. 112 लगी हुई है और वैकल्पिक रास्ता मोजूद होने से तथा दुसरा रास्ता कांकड वाले रास्ते से खसरा न. 109 लगा होने से प्रार्थीगण कोई सहायतां पाने का पात्र नही है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण कोई प्रतिकर के बदले में अप्रार्थीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है प्रतिकर से भूमि कोई नहीं ले सकता है। भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य अधिक होता है। यह कि उक्त पेरा अस्वीकार है। अप्रार्थीगण की मोजूदगी में वैकल्पिक रास्तो व आम रास्ते से परिवार की भूमि में होकर रास्ते होने की रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक है। यह कि दुरभी संधि से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है उक्त पेरा अस्वीकार है चाही गई सहायता अस्वीकार है भारी कोष्ट पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। **विशेष आपत्तियां–** यह कि [illegible] भवरलाल, प्रभुलाल, बापुलाल पुत्र घीसा की एक [illegible] 110 व 109 रही है ओर एक ही परिवार की [illegible] भूमि में होकर पीछे के खेतों में आने जाने के रास्ते है स्वयं की [illegible] सरकारी रास्ते व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कांकड के रास्ते व कांकड से लगी होने पर तथा वैकल्पिक रास्ते मौजूद होने पर खसरा न. 154 से 112 से 110 से 109 से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है दो खातेदार अपनी भूमि को बचाने के लिए दुरभी संधि करके अन्य खातेदार की भूमि में नया रास्ते की मांग कानूनन नहीं कि जा सकती है। यह कि खसरा न. 112 110 व 109 एक ही परिवार की भूमि है ओर खसरा न. 112 आम रास्ता खसरा न. 154 से लगा हुआ है। जिससे होकर प्रार्थी खसरा न. 110 व 109 मे आसानी से आते जाते है। यह कि ग्राम दोबडी से चलकर सरकारी आम रास्ते खसरा न. 154 से होकर दोबडी व कुटकी के कांकड वाले रास्ते से खसरा न. 109 लगा हुआ है जिससे भी खसरा न. 109 व 110 में आते जाते है। प्रार्थीगण को केवल अपनी सुविधा के लिए व दुरभी संधि से नया रास्ता नही दिया जा सकता है। यह कि प्रार्थी 1 द्वारा अप्रार्थी 4, 5, 6, 7 के भूमि के बरसाती पानी के प्राकृतिक बहाव के पानी को खसरा न. 109, 110 की मेड पर कई टैक्टर ग्रेवल डालकर अवरूद्ध कर चुके है जिसे अप्रार्थी 4, 5, 6, 7 ने अपनी भूमि की पूर्वी मेड पर खाई खोदकर बरसाती पानी को निकाला है जिसे भी रास्ते की आड में खाई को बन्द करने व अप्रार्थी की भूमि को बरसाती पानी के भराव से नष्ट करने की अवेध कोशिश में है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। जिस कारण अप्रार्थी 4, 5, 6, 7 विशेष हर्जा खर्चा एक लाख रू प्रार्थीगण से पाने का अधिकारी है। यह कि खसरा न. 109 दोबडी कुटकी के कांकड के रास्ते से लगा हुआ है और उसी से होकर खसरा न. 110 में भी जाने का रास्ता नक्शे मे डाट लाइन से अकिंत है जो अन्य खसरा न. 104, 115, 113, 123 तक जाता है। यह कि प्रार्थीगण के पास दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद होने पर भी उनके द्वारा दुरभी संधि करके अप्रार्थीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करने व बरसाती पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकने के अवेध प्रयास करने से प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज योग्य है। यह कि अप्रार्थी 2 अनसाउण्ड याइन्ड है उसके खिलाफ विविध प्रतिनिधि बनाये बिना [illegible] नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष [illegible] प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया [illegible] 4, 5, 6 को प्रार्थीगण ये दिलवाने कि कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

4. अप्रार्थी सं. 8 पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2025/856 दिनांक 07.07.2025 से जांच रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– पटवार हल्का सेमलीखाम के ग्राम दोबडी की ख.स. 109 व 110 पर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी ख.न. 109 रकबा 1.5176 है० खातेदार सियाराम पुत्र जगन्नाथ हिस्सा पूर्ण जाति कुल्मी सा०देह खातेदार के खातेदारी में दर्ज है तथा आराजी ख.न. 110 रकबा 1.5429 है० खातेदार अभिषेक पाटीदार पुत्र पूरुषोतम पाटीदार हिस्सा पूर्ण जाति कुल्मी सा.देह खातेदार के खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीगण ग्राम दोबडी की ख.स. 111 व 242/108 के मध्य मेड से रास्ता चाहता है ख.न. 111 खातेदार कैलाशचन्द पुत्र शिवनारायण हिस्सा 1/3 जाति कुल्मी जगदीश पुत्र शिवनारायण हिस्सा 1/3 जाति कुल्मी तथा रामबिलास पुत्र शिवनारायामा हिस्सा 1/3 जाति कुल्मी सा०देह खातेदार के खातेदारी में दर्ज तथा ख.न. 242/108 खातेदार कैलाशचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/4 जाति कुल्मी चन्द्रीबाई पत्नि स्व.लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/4 जाति कुल्मी बसन्तीबाई पुत्री लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/4 जाति कुल्मी व राजीबाई पुत्री लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/4 जाति कुल्मी सा.देह की खातेदारी मे दर्ज है। ख.न. 242/108 व 111 की मेड पर मौके पर लगभग 6 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है। ख.न. 242/108 की दक्षिणी मेड पर 35 गठठे लम्बाई 288.25 फीट व 6 फीट चोडाई यानि 1732.5 वर्ग फीट (0.0160 है०) भूमि गे.मु. रास्ता दर्ज किये जाने योग्य है ख.न. 111 की उत्तरी मेड 35 गठठे लम्बाई (288.75 फीट) व 6 फीट चौडाई यानि 1732.5 वर्ग फीट (0.0160 है०) भूमि गे.मु. रास्ता दर्ज किये जाने योग्य है ख.न. 242/108 व 111 की मेड पर स्थित चालू रास्ता ख.न. 110 को ख.न. 154 किस्म गे.मु. रास्ता से जोडता है ख.न. 242/108 का बरसाती पानी की 242/108 व 111 की मेड पर चालू रास्ते में निकासी होती है। अप्रार्थीगण ने बताया कि उक्त रास्ता ख.न. 242/108 का बरसाती [illegible] लगाई गई थी उसे चालू रास्ता बना लिया है ख[illegible] वाली भूमि के बदले ख.न. 111 से प्राथीगण[illegible] भूमि दिये जाने पर सहमति जताई। अप्रार्थीगण 1, 2 व 3 ने बताया [illegible] कि उनकी शामलाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(11)

खाते की आराजी ख.न. 112 जो गे.मु.रास्ता ख.न. 154 व 110 से लगा हुआ है में से रास्ता दिया जाये ताकि ख.न 112 से पूर्व की तरह लगे ख.न. का रास्ता भी सुलभ हो जाये। 1. प्रार्थीगण की भूमि ख.न. 100 व 110 तक पहुंचने का कोई रिकाडेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। 2. प्रार्थी की भूमि आराजी ख.न. 109 व 110 तक पहुंचने हेतु उक्त रिपोर्ट में न्यूनतम रास्ते का विवरण अंकित किया गया है। 3. नवीनतम डी.एल.सी. दर की प्रति संलग्न है। उपस्थित प्रार्थी व अप्रार्थी के हस्ताक्षर कराये गये है।

5. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम दोबडी तहसील रायपुर का नजरी नक्शा दिनांक 07.02.2025, ग्राम दोबडी तहसील रायपुर का खाता सं. 1, 78, 82, 48, 4 की जमाबंदी सं. 2073–76, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 03.02.2025, ग्राम पंचायत दीवलखेडा का मि.नं. 36/78 निर्णय दिनांक 08.12.1978 पेश की।

6. अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से ग्राम दोबडी का नक्शा किश्तवार, खाता सं. 11, 35 जमाबंदी सं. 2053–56 पेश की।

7. अप्रार्थी सं. 2 पेरोकार सरकार की ओर से हल्का पटवारी की रिपोर्ट, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 04.07.2025, ग्राम दोबडी तहसील रायपुर का खाता सं. 78, 82, 48, 4 की जमाबंदी सं. 2073–76 पेश की।

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अभिाषकगण अप्रार्थी सं. 1 व 3 द्वारा बहस के दौरान एकमत होकर निवेदन किया कि ग्राम दोबडी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 110 व 109 तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से तक पहूँचने के लिए ग्राम दोबडी की आराजी ख.नं. 154 गे.मु. रास्ते से होकर ख.नं. 111 के उत्तरी मेड से होते हुए ख.नं. 110 तक आया जाया करते थे और मौके पर कच्चा रास्ता भी बना हुआ है।

9. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 4 से 7 ने दौराने बहस कथन किया कि ख.नं. 242/108 की दक्षिण मेड पर बरसाती पानी निकालने [illegible] लगा रखी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जिस कारण ख.नं. 242/108 से होकर रास्ता नही दिया जावे अन्यथा बरसाती पानी की निकासी अवरुद्ध होने से अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के खेत एवं फसले खराब हो जावेगी। तहसीलदार रायपुर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2025 में भी प्रार्थीगण की आराजी तक कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण यथा ट्रेक्टर, थ्रेशर, हल, फसल कटाई मशीन आदि लाने ले जाने के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता नही है। अतः रास्ता प्रार्थीगण की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण सुविधा के लिए रास्ता नही ले रहे है।

10. अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 से 3 की निजी भूमि ख.नं. 111 से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति हेतु अपनी खातेदारी की भूमि ख.नं. 110 में से भूमि देने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी ख.नं. 110 व 109 तक पहुँच हेतु अप्रार्थी सं. 1 से 3 की भूमि ख.नं. 111 की उत्तरी मेड के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 3 ने आगे कथन किया कि यदि प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तो अप्रार्थी सं. 1 व 3 को रास्ता देने में कोई आपत्ति नहीं है अन्यथा प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

11. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:-

(i) <u>रिकार्डेड पहुँच मार्ग</u> –प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1, 3 व अप्रार्थी सं. 4 से 7 एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख. नं. 110 व 109 तक पहुँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहुँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम दोबडी तहसील रायपुर के नजरी नक्शा व लटठा नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहुँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहुँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(ii) <u>वैकल्पिक रास्ता होना</u> – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु सनातनी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(iii) <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 110 व 109 तक पहूँच हेतु कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नहीं है और जो वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है– वह ख.नं. 154 गे.मु.रास्ते से होकर ख. नं. 111 की उत्तरी मेड एवं ख.नं. 242/108 की दक्षिण मेड पर होकर है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) <u>लघुतम रास्ता होना</u>:– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, लटठा नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन एवं परीक्षण से तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2025 से जाहिर है कि लघुत्तम रास्ता ख. नं. 111 की उत्तरी मेड से होते हुए प्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 110 एवं इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

भूमि में होकर आगे ख.नं. 109 तक होगा। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 111 में नवीन रास्ता कायमी हेतु 288.75 फीट लम्बाई होगी जो अप्रार्थी सं. 1 से 3 की कब्जाकाश्त भूमि प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग में आएगी। प्रार्थीगण द्वारा 12 फीट चौडा रास्ते का अनुतोष चाहा है जो कि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए पर्याप्त होता है।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान:– प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 110 व 109 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की आने वाली भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है और भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। अप्रार्थी सं. 1 व 3 भूमि के बदले भूमि दिए जाने पर रास्ता देने का सहमत है। **राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधिनियम संख्याक 2023) दिनांक 02.09.2023 राजस्थान राजपत्र भाग 4 क पेज नं. 409 दिनांक 06.09.2023** के तहत धारा 251 ए की उपधारा (1) आर.टी.एक्ट में संशोधन कर अवधारित किया गया कि प्रतिकर के संज्ञाय के एवज में ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर रास्ता दिया जा सकता है। अतः रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ख. नं. 111 की 288.75 x 12 = 3465 वर्ग फीट की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी सं. 1 की लगवा भूमि ख.नं. 110 में से 3465 वर्ग फीट भूमि दिया जाना उचित होगा।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषकगण अप्रार्थी सं. 1 व 3 की आपसी सहमति बहस तथा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 04.07.2025 के अनुसार ग्राम दोबडी तहसील रायपुर की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 110 व 109 तक पहूँच हेतु नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

Scanned with OKEN Scanner

(15) 6

13. परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। ग्राम दोबडी तहसील रायपुर की अप्रार्थी सं. 1 से 3 के खाते की आराजी ख.नं. 111 में से रास्ते की भूमि रकबा 3465 वर्ग फीट की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी सं. 1 की लगवा भूमि ख.नं. 110 में से 3465 वर्ग फीट भूमि दिये जाने पर ख.नं. 111 में 288.75 फीट लम्बा एवं 12 फीट चौडा नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा को पृथक से नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार रायपुर ख.नं. 113 के सीमाज्ञान कराने के बाद नये रास्ते का उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner